संख्या – 848/आठ–4–08–2एन/2005

प्रेषक,

विष्णु प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिलाधिकारी**
   उत्तर प्रदेश।
3. **उपाध्यक्ष**
   लखनऊ विकास प्राधिकरण,
   लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 03 जूलाई, 2008

विषय : नजूल भूमि के प्रबन्धन, फ्री होल्ड एवं निस्तारण के संबंध में समयबद्ध कार्यवाही।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–317(1)/आठ–4–08–2एन/2005, दिनांक 02.04.08 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भूमि के प्रबन्धन, फ्री होल्ड करने एवं निविदा/नीलामी के माध्यम से उसके निस्तारण के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालनार्थ उकत पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों के साथ ही यह भी निर्देश दिये गये थे कि फ्री होल्ड के लिए जो भी आवेदन पत्र लम्बित हैं प्रोसेस करके उनका निस्तारण करते हुए यथास्थिति डिमाण्ड नोट जारी किया जाये या अग्राहय होने की स्थिति में उसे अस्वीकृत करके आवेदनकर्ता को अवगत करा दिया जाये और यह कार्यवाही आगामी दो माह के अन्दर पूरी करके शासन को अनुपालन आख्या प्रेषित की जाय कि दिनांक 31.03.08 तक प्रस्तुत किया गया फ्री होल्ड का कोई आवेदन पत्र अब निस्तारण हेतु लम्बित नहीं है। इस संबंध में अभी तक कृत कार्यवाही से शासन को अवगत नहीं कराया गया है।

2. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

विष्णु प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव